



दीनद्याल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर - 273009

पत्रांक : सम्बद्धता / 2018 / (3) / 1377

दिनांक 19/05/2018

सेवा में

प्रबन्धक / प्राचार्य

सी०एम० कालेज ऑफ एज्युकेशन, कल्पना बालाइ, गोवा०

**विषय :** स्वितपोषित योजनान्वयत स्थातक संस्करण पर शिक्षा संकाय के अन्दर्गत बी०ए०३० द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में 100 सीटें की अस्थाई सम्बद्धता शैक्षिक सत्र 2018-20 हेतु महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन समिति ने महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कागजातों, सम्बद्धता से विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति पत्र निर्धारित है, उक्त पत्र में उल्लिखित विधिक बट्टारे के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा पत्रजात प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार विधिक बट्टारे की प्रक्रिया नियमानुसार चल रही है। समिति जो महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कागजातों, सम्बद्धता से सम्बन्धित अभिलेखों एवं शासनादेशों के अनुसार परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपाइन समिति ने विरीक्षण मण्डल की आठवा औं इंगित कर्मियों एवं महाविद्यालय द्वारा अब्य मानकानुसार अभिलेखों को पूर्ण करने, गण्डीय अध्यापक शिक्षा परिषद के संकाय के अन्तर्गत बीएम० (द्वितीय) पाठ्यक्रम में दो द्यूविंश (100 अंडे) शैक्षिक सत्र 2018-2020 द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने की संस्थित बी जारी है।

सम्बद्धता समिति की संस्थानी के आधार पर सी0एम0 कालेज ऑफ एज्यूकेशन, कुमुनी बाजार, गोस्तिघाट को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्वर्गीत सी0एम0 ट्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों की अस्थाई सम्बद्धता शैक्षिक सत्र 2018-20 हेतु स्वतितपौष्टि योगनामार्गत माननीय कार्यपालिद दी स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है-

- महाविद्यालय, सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित करनीयों यथा- महाविद्यालय में बी०ए० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति पत्र जिर्गत है, उक्त पत्र में उल्लिखित विधिक बट्टारे के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा पत्रानाम प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार विधिक बट्टारे की प्रक्रिया विद्यमानविद्यालय वल रही है। साथ ही अनापत्ति पत्र में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करेगा। कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा।
  - महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यमार्ग ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यमार्ग ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
  - संस्था शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108 / सत्तर- 2-2007-2(494) / 2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112 / सत्तर-2-2008- 2(494) / 2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
  - रिट यांचिका संख्या 61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522 / सत्तर-2-2013-2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - कठिपय रसंगां/महाविद्यालय को सप्ताह सम्बद्धता आदेशों में इंगित करनीयों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
  - यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित, तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्तता तथा उन निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
  - संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संघीयन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
  - संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
  - संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
  - संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही, प्राप्त करेगी।
  - संस्था परिसर को रैंगिंग मुक्त रखेगी।
  - संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
  - महाविद्यालय की असर्वाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
  - महाविद्यालय द्वारा ए०आ०१०ए०स०ए०र्ड० 2016-17 एवं 2017-18 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
  - महाविद्यालय ए०आ०१०टी०र्ड० द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

भाष्यकारीय

पृष्ठाकांत संख्या: दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2018 / ..... तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—६, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  - निदेशक, उच्च शिक्षा उ०प्र०, इलाहाबाद / क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
  - अधिकारी, शिक्षा संकाय / परीक्षा नियंत्रक / उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दौ०द०७० गो०विं०, गोरखपुर।
  - उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुगोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें / कुलसचिव कार्यालय।
  - सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।      ६. गार्ड फाइल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव